

आय कर आयुक्त, चंडीगढ़

बनाम

मैसर्स पर्ल मैक. इंजी. एंड फाउंड्री वर्क्स (पी) लिमिटेड।

अप्रैल 16,2004

[एस. राजेंद्र बाबू और जी. पी. माथुर, न्यायाधिपतिगण]

आयकर अधिनियम, 1961:

अध्याय XXA - धारा 269D-अचल संपत्ति-सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिग्रहण-कार्यवाहियों की शुरुआत- धारा 269 डी (1) के तहत आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन से पहले हस्तांतरणकर्ता अंतरिती को 269 डी (2) के तहत नोटिस जारी करना - की वैधता - अभिनिर्धारित : धारा 269 (1) के तहत आधिकारिक राजपत्र में नोटिस का प्रकाशन अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू करने का आधार है - सक्षम प्राधिकारी को आधिकारिक राजपत्र में नोटिस के प्रकाशन के बाद ही अधिकार क्षेत्र मिला - हालाँकि, आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन से पहले नोटिस की सेवा केवल एक अनियमितता थी और कार्यवाही को अवैध या क्षेत्राधिकार के बिना नहीं बनाया जा सकता था।

प्रतिवादी के खिलाफ आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXA के अनुसार वाद संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि, अधिनियम की धारा 269 डी (2) के तहत नोटिस प्रत्यर्थी-

हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता को आधिकारिक राजपत्र में अधिनियम की धारा 269 डी (1) के तहत नोटिस के प्रकाशन से पहले दिया गया था। सक्षम प्राधिकारी ने उक्त संपत्ति के अधिग्रहण के लिए एक आदेश पारित किया। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी-हस्तांतरणकर्ता और अंतरिती द्वारा दायर अपील को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि धारा 269 डी (2) के तहत नोटिस आधिकारिक राजपत्र में नोटिस के प्रकाशन से पहले जारी किए गए थे। उच्च न्यायालय ने इस आदेश को बरकरार रखा। इसलिए याचिका दायर की गई है।

न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न उठा:

"क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 डी (2) के तहत हस्तांतरणकर्ता और अंतरिती को नोटिस की तामील, अधिनियम की धारा 269 डी (1) के अनुसार आधिकारिक राजपत्र में सूचना प्रकाशित होने से पूर्व होने से पूरी कार्यवाही अवैध और बिना क्षेत्राधिकार के हो जाएगी?"

अपील को स्वीकार करते हुये, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 डी (1) के तहत अचल आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन अध्याय XXA के तहत अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू करने का आधार है और कार्यवाहियों की शुरुआत के लिए सीमा की अवधि को गणना उक्त तिथि के संदर्भ में की जानी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी को आधिकारिक राजपत्र में सूचना के प्रकाशन के बाद ही संपत्ति के अधिग्रहण के लिए आदेश देने का

अधिकार क्षेत्र मिलता है। हस्तांतरणकर्ता और अंतरिती पर अधिनियम की धारा 269डी (2) के तहत नोटिस की तामील प्राकृतिक न्याय की आवश्यकता को पूरा करती है ताकि वे उस कार्रवाई के खिलाफ लिखित में आपत्तियां दर्ज कर सकें जो प्रस्तावित की जानी है, अर्थात् संपत्ति के अधिग्रहण के लिए। नोटिस की सेवा में की गई कोई भी त्रुटि या गलती किसी भी तरह से संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती है। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन से पहले नोटिस की सेवा केवल कार्यवाही के दौरान की गई एक अनियमितता है और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन द्वारा वैध रूप से शुरू की गई पूरी कार्यवाही को रद्द करने का प्रभाव नहीं हो सकता है। वास्तव में, राजपत्र के प्रकाशन से पहले हस्तांतरणकर्ता या अंतरिती को नोटिस की तामील से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 269डी (2) के तहत नोटिस की पूर्व सेवा एक अनियमितता है, लेकिन इसका प्रभाव कार्यवाही को अवैध या क्षेत्राधिकार के बिना प्रस्तुत करने का नहीं हो सकता है। [345 - एफ-जी; 346-ए-डी]

सीआईटी बनाम अमृत स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज, 144 आईटीसी 113 (पी एंड एच) (एफबी), श्रीमती प्रितपाल कौर बनाम सहायक सीआईटी, 145 आई. टी. आर. 19 (ऑल), प्रेम चंद बनाम आई. ए. सी. 153 आई. टी. आर. 774 (कर्ना.) और अखिल भारतीय रिपोर्टर बनाम सक्षम प्राधिकारी, 162

आई. टी. आर. 697 (बॉम्बे) और ललिता टोडी बनाम सी. आई. टी., 123
आई. टी. आर. 40 (पट.) – की अनुमत किया गया।

सीआईटी बनाम देसराज, 220 आई. टी. आर. 7 (पी एंड एच), सी.
आई. टी. बनाम विनोद गुप्ता, 221 आईटीआर 213 (पी एंड एच) और सत्य
नारायण प्रकाश पुंज बनाम भारत संघ, 160 आई. टी. आर. 693 (दिल्ली)
– नकार दिया गया।

नजीर अहमद बनाम किंग एम्पर, ए. आई. आर. (1936) पी. सी.
253, संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 1196/2001

आई. टी. ए. सं. 14/1982 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
के निर्णय एवं आदे दिनांक 21/7/1999 से।

टी. एल. वी. अय्यर, के. सी. कौशिक, राजीव त्यागी, सुश्री सुषमा
सूरी और बी. वी. बलरामदास, अपीलार्थी के लिए

जी. सी. शर्मा, अनूप शर्मा, आर. के. राघवन और विश्वजीत सिंह,
प्रतिवादी के लिये।

न्यायालय का निर्णय जी. पी. माथुर, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया
था।

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च
न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 21/7/1999 के विरुद् दायर की

गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269एच के तहत आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ के दिनांक 16/8/1992 के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया गया था।

2. प्रतिवादी मेसर्स पर्ल मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फाउंड्री वर्क्स (पी) लिमिटेड, लुधियाना ने प्लॉट नं. 427 , औद्योगिक क्षेत्र-ए, लुधियाना का एक विक्रय विलेख ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड के पक्ष में दिनांक 5/2/1980 को रु 10,05,000/- में निष्पादित किया था। निरीक्षण सहायक आयुक्त से एक संदर्भ प्राप्त होने पर सरकारी मूल्यांकनकर्ता ने संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का अनुमान Rs.18,31,000 लगाया। संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही तब आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के अध्याय XXA के अनुसार शुरू की गई थी और अधिनियम की धारा 269D (1) के तहत नोटिस 15.11.1980 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अधिनियम की धारा 269डी (2) के अंतर्गत जारी नोटिस हस्तांतरणकर्ता और अंतरिती पर दिनांक 10.10.1980 को तामील किये गये । सक्षम प्राधिकारी ने आपत्तियों को सुनने के बाद संपत्ति के अधिग्रहण के आदेश पारित किए। हस्तांतरणकर्ता और अंतरिती द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ दायर अपीलों को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ द्वारा स्वीकार किया गया था और सक्षम प्राधिकारी के आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर अपास्त कर

दिया गया था कि धारा 269 डी (2) के तहत नोटिस आधिकारिक राजपत्र में नोटिस के प्रकाशन से पहले जारी किए गए थे। न्यायाधिकरण के आदेश से व्यथित महसूस करते हुए आयकर आयुक्त ने अधिनियम की धारा 269 एच के तहत अपील की, लेकिन इसे उच्च न्यायालय ने 21.7.1999 को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने माना कि आधिकारित राजपत्र में नोटिस के प्रकाशन से संपत्ति के अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थी और राजपत्र में प्रकाशन से पूर्व धारा 269 डी (2) के तहत हस्तांतरणकर्ता और अंतरिती पर नोटिस की तामील निरर्थक है और पूरी कार्यवाही को अवैध और अधिकार क्षेत्र से रहित बनाकर व्यर्थ करने की एक कवायद है।

3. जिस मुख्य प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या अधिनियम की धारा 269 डी (1) के अनुसार आधिकारित राजपत्र में नोटिस के प्रकाशन से पहले अधिनियम की धारा 269 डी (2) के तहत अंतरणकर्ता और अंतरिती को नोटिस की तामील पूरी कार्यवाही को अवैध और बिना क्षेत्राधिकार के बना देगी। अध्याय XXA जिसमें धारा 269A से 269S शामिल है, कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1972 द्वारा 15.11.1972 से प्रभावी किया गया था। उद्देश्यों और कारणों के विवरण से पता चलता है कि यह संशोधन बिक्री विलेखों में अचल संपत्ति के मूल्य को कम करके कर की चोरी का मुकाबला करने के लिए और केंद्र सरकार को अचल संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए सशक्त बनाकर काले धन के संचलन को रोकने के लिए भी शामिल किया गया था और कर चोरी की

दृष्टि से संपत्ति के बेनामी धारण की व्यापक प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए वास्तविक मालिक को अदालत में ऐसी संपत्ति पर अपने दावे को लागू करने से रोक दिया गया था, जब तक कि उसने उस संपत्ति या संपत्ति से आय को आयकर और धन कर के उद्देश्यों के लिए घोषित नहीं किया हो या आयकर अधिकारियों को संपत्ति पर अपने दावे की सूचना नहीं दी हो।

4. धारा 269ए की उप-धारा (ए) "प्रत्यक्ष विचार" को परिभाषित करती है और उप-धारा (बी) "सक्षम प्राधिकारी" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा धारा 269ख अध्याय XXए के तहत सक्षम प्राधिकारी के कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकृत एक सहायक आयकर आयुक्त। धारा 269बी में प्रावधान है कि केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, आयकर के अधिक से अधिक सहायक आयुक्तों को, जो वह उचित समझे, अध्याय के तहत एक सक्षम प्राधिकारी के कार्यों को करने के लिए अधिकृत कर सकती है और उन स्थानीय सीमाओं को भी परिभाषित कर सकती है जिनके भीतर सक्षम अधिकारी अपने कार्य करेंगे। धारा 269सी, 269डी और 269ई के प्रासंगिक भाग, जिनका हस्तगत विवाद से संबंध है, नीचे पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं:

269सी. (1) जहां सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि बीस-पाँच हजार रुपये से अधिक उचित बाजार मूल्य की कोई अचल संपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा (इसके बाद इस अध्याय में हस्तांतरणकर्ता के रूप

में संदर्भित) किसी अन्य व्यक्ति को (इसके बाद इस अध्याय में अंतरिती के रूप में संदर्भित) एक स्पष्ट प्रतिफल के लिए हस्तांतरित की गई है जो संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम है और यह कि पक्षकारों के बीच सहमति के अनुसार ऐसे हस्तांतरण के लिए प्रतिफल हस्तांतरण के साधन में वास्तव में निम्नलिखित उद्देश्य के साथ नहीं कहा गया है:

(क) हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली किसी भी दाय के संबंध में इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए हस्तांतरणकर्ता के दायित्व में कमी या चोरी की सुविधा प्रदान करना।

(ख) किसी भी आय या किसी भी धन या अन्य संपत्ति को छिपाने की सुविधा प्रदान करना जो आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का एक) या इस अधिनियम या संपत्ति कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजन के लिये अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं की गई है या जिसका खुलासा किया जाना चाहिये।

सक्षम प्राधिकारी, इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इसके अध्याय के तहत ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है;

बशर्ते कि ऐसी कार्यवाही शुरू करने से पहले, सक्षम प्राधिकारी ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा।

आगे प्रदान किया गया (अप्रासंगिक होने के कारण हटा गया)

(2)(अप्रासंगिक होने के कारण हटा दिया गया)

269 डी. (1) सक्षम प्राधिकारी, इस अध्याय के तहत, धारा 269 सी में निर्दिष्ट किसी भी अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिये आधिकारिक राजपत्र: में प्रकाशित नोटिस द्वारा कार्यवाही शुरू करेगा।

बशर्ते कि किसी भी अचल संपत्ति के संबंध में ऐसी कोई कार्यवाही उस महीने के अंत से नौ महीने की अवधि की समाप्ति के बाद शुरू नहीं की जायेगी जिसमें ऐसी संपत्ति के संबंध में हस्तांतरण का संबंध पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)के तहत पंजीकृत है।

आगे प्रदान किया गया..... (प्रासंगिक नहीं होने के कारण हटा दिया गया)

(2) सक्षम प्राधिकारी करेगा

(क) किसी भी अचल संपत्ति के संबंध में उप-धारा (1) के तहत अंतरिणकर्ता, अंतरिती, संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति, यदि अंतरिती का उस

पर कब्जा नहीं है, और प्रत्येक व्यक्ति पर नोटिस तामील करवा सकता है।
जिसे सक्षम प्राधिकारी संपत्ति में रुचि रखने के लिए जानता है;

(ख) ऐसे नोटिस को प्रकाशित करने का कारण बनेगा।

(i) अपने कार्यालय में उसकी एक प्रति किसी विशिष्ट स्थानपर
चिपका कर;

(ii) जिस इलाके में अचल संपत्ति, जिससे वह संबंधित है, स्थित है,
उसकी एक प्रति संपत्ति के किसी दृश्यमान हिस्से पर चिपकाकर और उक्त
इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर इस तरह के नोटिस के सार को
निर्धारित तरीके से बताकर भी।

269 ई. (1) अचल संपत्ति के अधिग्रहण के खिलाफ आपत्तियां,
जिसके संबंध में उप-धारा (1) या धारा 269 डी के तहत सरकारी राजपत्र में
सूचना प्रकाशित की गई है, की जा सकती हैं -

(ए) हस्तांतरणकर्ता या अंतरिती या उस धारा की उप-धारा (2) के
खंड (क) में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ऐसे प्रकाशन की तारीख से
पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर या उक्त खंड के तहत ऐसे व्यक्ति पर
नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर, जो भी अवधि बाद
में समाप्त हो;

(ख) ऐसी अचल संपत्ति में रुचि रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति
द्वारा, इस तरह के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर।

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में दी जाएगी।

(3) (अप्रासंगिक होने के कारण हटा दिया गया)

5. उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि अध्याय XXA के तहत किसी भी अचल संपत्ति का अधिग्रहण आधिकारिक राजपत्र में उस आशय की सूचना के प्रकाशन द्वारा शुरू किया जाना चाहिए। यह धारा 269 डी की उप-धारा (1) की अनिवार्य आवश्यकता है। उसी धारा की उप-धारा (2) के तहत, हस्तांतरणकर्ता, अंतरिती, संपत्ति पर कब्जा करने वाले व्यक्ति, यदि अंतरिती उस पर कब्जा नहीं करता है, और हर उस व्यक्ति को भी नोटिस दिया जाना चाहिए जिसे सक्षम प्राधिकारी संपत्ति में रुचि रखने के लिए जानता है। उप-धारा (2) के खंड (ख) को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना की एक प्रति उस विशिष्ट स्थान पर और उस इलाके में चिपकाकर कार्यालय में प्रकाशित की जानी चाहिए जिसमें वह अचल संपत्ति है जिससे वह संबंधित है। धारा 269 ई हस्तांतरणकर्ता या अंतरिती या धारा 269 डी की उप-धारा (2) के खंड (ए) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति को उस अचल संपत्ति के अधिग्रहण के खिलाफ लिखित में आपत्ति दर्ज करने के लिये सक्षम बनाती है जिसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आधिकारिक राजपत्र में एक सूचना प्रकाशित की गई है। उपयोग की गई स्पष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए, संपत्ति के अधिग्रहण की कार्यवाही केवल आधिकारिक राजपत्र में सूचना के प्रकाशन से शुरू की जा सकती है

और जब तक प्रकाशन नहीं किया जाता है, तब तक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। धारा 269 डी की उप-धारा (1) के लिए पहला परंतुक इस तरह की कार्यवाहियां शुरू करने के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करता है, जो उस महीने के अंत से नौ महीने की होती हैं जिसमें ऐसी संपत्ति के संबंध में हस्तांतरण का साधन पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। इसलिए, इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए आधिकारिक राजपत्र में सूचना उस महीने के अंत से 9 महीने की अवधि के भीतर प्रकाशित की जानी चाहिए, जिसमें अधिग्रहण और हस्तांतरण पंजीकृत किए गए थे। धारा 269 डी की उप-धारा (2) हस्तांतरणकर्ता, अंतरिती और कुछ अन्य व्यक्तियों को नोटिस [जिसे धारा 269 डी की उप-धारा (1) में संदर्भित किया गया है] देने का प्रावधान करती है। इसमें सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में और इलाके में भी नोटिस की एक प्रति चिपकाने का प्रावधान है। धारा 269 डी की उप-धारा (2) में उपयोग की गई भाषा में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि हस्तांतरणकर्ता या अंतरिती को नोटिस की तामील आधिकारिक राजपत्र में नोटिस के प्रकाशन के बाद ही प्रभावी हो सकती है जैसा कि उप-धारा (1) द्वारा विचार किया गया है। धारा 269 ई के तहत आपत्तियां दर्ज करने के लिए सीमा की अवधि प्रदान की गई है, और यह राजपत्र में नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन और ऐसे व्यक्ति (हस्तांतरणकर्ता या अंतरिती) पर नोटिस की तामील की तारीख से 30 दिन, जो भी अवधि बाद में समाप्त हो, देता है। इस प्रावधान के तहत धारा 269 डी की उप-धारा (2) के तहत हस्तांतरणकर्ता या अंतरिती को

आधिकारिक राजपत्र में नोटिस के प्रकाशन से पहले नोटिस देना उनके लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसे मामले में भी उन्हें राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से आपत्तियां दर्ज करने के लिए 45 दिन का समय मिलेगा। वास्तव में, नोटिस की पूर्व सेवा उनके लाभ के लिए होगी क्योंकि उन्हें आपत्ति दर्ज करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। यह सच है कि धारा 269 डी की उप-धारा (1) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "कार्यवाही शुरू करेगी" है जिसका अर्थ यह भी किया जा सकता है कि सूचना की व्यक्तिगत तामील सहित अन्य कदम राजपत्र में प्रकाशन के बाद ही उठाए जा सकते हैं, लेकिन प्रासंगिक प्रावधानों और अध्याय XXA की योजना के विश्लेषण से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि धारा 269 डी की उप-धारा (1) में आधिकारिक राजपत्र में सूचना के प्रकाशन से पहले उप-धारा (2) के तहत हस्तांतरणकर्ता या अंतरिती पर व्यक्तिगत सूचना की तामील पूरी कार्यवाही को अवैध और क्षेत्राधिकार के बिना बना देगी।

6. निस्संदेह, आधिकारिक राजपत्र में सूचना का प्रकाशन धारा 269 डी की उप-धारा (1) के तहत अध्याय XXए के तहत अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू करने का आधार है और कार्यवाही शुरू करने की सीमा की अवधि को उक्त तिथि के संदर्भ में गिना जाना चाहिए। आधिकारिक राजपत्र में नोटिस के प्रकाशन के बाद ही सक्षम प्राधिकारी को संपत्ति के अधिग्रहण के लिये आदेश देने का अधिकार प्राप्त होता है। शब्द "क्षेत्राधिकार" का तात्पर्य किसी कारण को सुनने और निर्धारित करने की

न्यायिक शक्ति वाले न्यायालय या न्यायाधिकरण से है, और ऐसा न्यायाधिकरण कानून के अधिकार के अलावा मौजूद नहीं हो सकता है। न्यायक्षेत्र हमेशा सीधे और तुरंत कानून से निकलता है; यह एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है जिसे कानून ने इसे प्रदान नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, "क्षेत्राधिकार" संदर्भ विषय वस्तु पर न्यायालय या न्यायाधिकरण की शक्ति, विवाद में संपत्ति पर, और निर्णय या डिक्री देने के लिये न्यायालय के अधिकार से है। यह इस अर्थ में है कि आधिकारिक राजपत्र में सूचना का प्रकाशन अध्याय अधिनियम के अध्याय XXA के तहत अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। हस्तांतरणकर्ता और अंतरिती पर धारा 269 डी की उप-धारा (2) के तहत नोटिस की सेवा प्राकृतिक न्याय की आवश्यकता को पूरा करती है ताकि वे संपत्ति के अधिग्रहण के लिये प्रस्तावित कार्यवाही के खिलाफ लिखित में आपत्तियां दर्ज कर सकें। नोटिस की तामील में की गई कोई भी त्रुटि या गलती किसी भी तरह से संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रदत्त क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करती है। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन से पहले नोटिस की तामील केवल कार्यवाही के दौरान की गई एक अनियमितता है और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन द्वारा वैध रूप से शुरू की गई पूरी कार्यवाही को रद्द करने का प्रभाव नहीं हो सकता है। वास्तव में, राजपत्र के प्रकाशन से पहले हस्तांतरणकर्ता या अंतरिती को नोटिस की तामील द्वारा कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है। इसलिए, हमारी राय है

कि धारा 269 डी की उप-धारा (2) के तहत नोटिस की पूर्व तामील सबसे अधिक एक अनियमितता है, लेकिन इसका कार्यवाही को अवैध या अधिकार क्षेत्र के बिना प्रस्तुत करने का प्रभाव नहीं हो सकता है।

7. यहाँ पूछे गए प्रश्न पर विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा विचार किया गया है और उनमें दिए गए निर्णयों पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है। सी. आई. टी. बनाम अमृत स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज, 144 आई. टी. सी. 113, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अधिनियम के प्रावधानों के विश्लेषण के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 269 डी की उप-धारा (1) अधिग्रहण कार्यवाही की शुरुआत के लिए प्राथमिक और मुख्य प्रावधान है और उप-धारा (2) जो स्पष्ट रूप से निम्नलिखित है, एक तरह से उपरोक्त उप-धारा (1) की सहायक और पूरक प्रावधान है। आगे, यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अधिग्रहण के लिए कार्यवाहियों की शुरुआत और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकारिता की परिणामी धारणा अधिनियम की धारा 269 डी (1) के तहत आधिकारिक राजपत्र में सूचना के प्रकाशन से पूरी होती है और इसके परिणामस्वरूप उप-धारा (2) के अनुपालन का प्रक्रियात्मक दोष सक्षम प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा और उक्त उप-धारा के तहत पूरी कार्यवाहियों को दूषित नहीं करेगा। श्रीमती प्रितपाल कौर बनाम इंसपैक्टिंग असिस्टेंट, सीआईटी 145 आई. टी. आर. 19 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 269 डी

(1), जिसमें आधिकारिक राजपत्र में अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने के लिये एक नोटिस के प्रकाशन की आवश्यकता है, अनिवार्य है लेकिन संपत्ति के हस्तांतरणकर्ता और अंतरिती को नोटिस आधिकारिक राजपत्र में नोटिस के प्रकाशन के बाद दिया जाना आवश्यक नहीं है। प्रेम चंद बनाम आई. ए. सी, 153 आईटीआर 774 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू करने का अधिकार क्षेत्र आई. ए. सी. को अधिनियम के अध्याय XXA द्वारा प्रदान किया गया है और सरकार द्वारा दिए गए आदेशों में उन्हें कारण तय करने के लिए प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है। आई. ए. सी. द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में की गई प्रत्येक त्रुटि को उसके अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं माना जा सकता है और वे सभी त्रुटियां हैं लेकिन क्षेत्राधिकार की नहीं हैं। तदनुसार, राजपत्र में नोटिस के प्रकाशन से पहले धारा 269 डी (2) (ए) के तहत नोटिस जारी करने में आई. ए. सी. समिति द्वारा की गई त्रुटियां, यदि कोई हों, उनके अपने निस्संदेह क्षेत्राधिकार के भीतर एक त्रुटि थी और यह क्षेत्राधिकार की धारणा का मामला नहीं था और न्यायाधिकरण द्वारा अन्यथा अभिनिर्धारित करने और उस आधार पर कार्यवाहियों को अमान्य करने का मामला स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण था। अखिल भारतीय रिपोर्टर बनाम सक्षम प्राधिकारी, 162 आई. टी. आर. 697 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि व्यक्तिगत नोटिस और स्थानीय नोटिस देना क्षेत्राधिकार संबंधी आवश्यकताएं नहीं हैं, जिनका पालन न करने के परिणामस्वरूप अधिग्रहण

कार्यवाही की शुरुआत अमान्य हो जानी चाहिए। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि इस सूचना की सेवा का तरीका केवल निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है और न ही यह एक क्षेत्राधिकार तथ्य है ताकि कार्यवाही आयोजित करने या शुरू करने के लिए अधिकार क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को वंचित किया जा सके। पटना उच्च न्यायालय ने श्रीमती ललिता टोडी बनाम। सी. आई. टी., 123 आई. टी. आर. 40 के मामले में भी ऐसा ही विचार रखा है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 269 डी (2) के प्रावधानों को केवल निर्देशिका माना जाना चाहिए। हम इन निर्णयों में व्यक्त विचार से सहमत हैं।

8. सी. आई. टी. बनाम देस राज, 220 आई. टी. आर. 7 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इसके विपरीत विचार रखा है और उसकी राय में सी. आई. टी. बनाम अमृत स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज, 144 आई. टी. आर. 113 में उसी न्यायालय का पूर्ण पीठ के निर्णय में यह नहीं माना कि जहां भी उप-धारा (1) के तहत इसके प्रकाशन से पहले उप-धारा (2) के तहत नोटिस दिया जाता है, वहां भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई त्रुटि केवल प्रक्रियात्मक है और क्षेत्राधिकार संबंधी नहीं है। इस धारणा पर यह माना गया था कि ऐसा दोष क्षेत्राधिकार में से एक है और सक्षम प्राधिकारी संपत्ति के अधिग्रहण का आदेश देने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। सी. आई. टी. बनाम विनोद गुप्ता, 221 आई. टी. आर. 213 उन्हीं विद्वान न्यायाधीशों का एक संक्षिप्त निर्णय है जिसमें उन्होंने सी.

आई. टी. बनाम देस राज (उपरोक्त) में अपने पहले के निर्णय का पालन किया था। हमारी राय में, इन दोनों निर्णयों में लिया गया दृष्टिकोण सी. आई. टी. बनाम अमृत स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) में पूर्ण पीठ के निर्णय के अनुपात के रूप में सही कानून को निर्धारित नहीं करता है। सत्य नारायण प्रकाश पुंज बनाम भारत संघ, 160 आई. टी. आर. 693 दिल्ली उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश का निर्णय है, जिसमें धारा 269डी की उप-धारा (2) के तहत आधिकारिक राजपत्र में सूचना के प्रकाशन से पहले दिया गया नोटिस रद्द कर दिया गया था। ऐसा करने के लिए, न्यायालय ने नजीर अहमद बनाम किंग एम्परर, एआईआर (1936) पी. सी. 253 में प्रिवी काउंसिल के आदेश पर भरोसा किया कि जब किसी कानून के लिए किसी चीज को एक विशेष तरीके से करने की आवश्यकता होती है, उस तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, धारा 269डी की भाषा अब यह दर्शाती है कि हस्तांतरणकर्ता या अंतरिती पर सूचना की तामील, जैसा कि उप-धारा (2) द्वारा विचार किया गया है, अनिवार्य रूप से आधिकारिक राजपत्र में सूचना के प्रकाशन के बाद ही प्रभावी होनी चाहिए।

9. ऊपर बताए गए कारणों से, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय और आयकर अपीलिय न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ द्वारा भी इस प्रभाव के लिए लिया गया दृष्टिकोण कि हस्तांतरणकर्ता और अंतरिती पर धारा 269डी (2) (ए) के तहत आधिकारिक राजपत्र में नोटिस के प्रकाशन से पहले नोटिस

की तामील ने पूरी कार्यवाही को अवैध और बिना क्षेत्राधिकार के बना दिया, स्पष्ट रूप से कानून में अस्थिर है। तदनुसार अपील की स्वीकार की जाती है और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 21.7.1999 के निर्णय और आदेश और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 16.8.1992 को भी अपास्त किया जाता है।

अपील स्वीकार की गई।

वी. एस.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।